पंचायती राज से सम्बन्धित योजनाओं का संक्षिप्त नोट

1. बारहवें वित्त आयोग

- **बारहवें वित्त आयोग** की **पंचाट अवधि 2005–2010** है जो समाप्त हो चुकी है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी क्रिया–कलापों हेतु पंचाट अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल अनुदान 1230 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये थे। जिसमें से जिलों द्वारा मार्च, 10 तक 962.62 करोड़ व्यय किये जा चुके है। कुल स्वीकृत 166764 कार्यो में से 151007 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में **जिलों में शेष उपलब्ध राशि 267.38 करोड़ में से मई, 10 तक 30.09 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा शेष 20005 स्वीकृत कार्य में से 4195 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।**

2. तेरहवां वित्त आयोगः

विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान के रूप में पंचाट अवधि 2010–11 से 2014–15 तक के लिये 1600.42 करोड के अतिरिक्त प्रस्ताव दिये गये है। उक्त प्रस्ताव बारहवें वित्त आयोग पंचाट अवधि 2005से 2010 तक के आवंटित राशि 1230 करोड के अतिरिक्त है। अतः इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समग्र विकास हेतु तेरहवें वित्त आयोग में बारहवें आयोग की राशि को सम्मिलित करते हुए रूपये 2830.42 (1230–1600.42) करोड की मांग प्रस्तावित है।

3. राज्य वित्त आयोग– तृतीय

- **राज्य वित्त आयोग– तृतीय** की पंचाट अवधि 2005–2010 है जो समाप्त हो चुकी है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव, आवश्यकता होने पर उक्त सेवाओं के सुदृढीकरण, संवर्धन, सुधार एवं विस्तार एवं पीने के पानी सम्बन्धी नवीन कार्य हेतु पंचाट अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल अनुदान 1189.56 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये थे। जिसमें से जिलों द्वारा मार्च, 10 तक 678.97 करोड़ व्यय किये जा चुके है। कुल स्वीकृत 97569 कार्यो में से 88427 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में **जिलों में शेष उपलब्ध राशि 509.59 करोड़ में से मई, 10 तक 15.48 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा शेष 11198 स्वीकृत कार्य में से 1875 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।**

4 राज्य वित्त आयोग– चतुर्थ के तहत अनुदानः

योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 150.00 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

5. पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011–12 तक (6 वर्ष) राज्य के 12 जिलों यथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड जैसलमेर, करौली, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर, सवाईमाधोपुर, टोंक में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत चयनित जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान राशि दो घटकों (1) क्षमता निर्माण (मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं कें सुदृढीकरण हेतु तकनीकी सेवाओं की आउट सोर्सिंग करना, जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करना, बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिये जाने के साथ–साथ पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत हेतु) व (2) विकास कोष में उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रगतिः–

- योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक भारत सरकार से प्राप्त 634.89 करोड़ की राशि के विरूद्ध मार्च 2010 तक 500.04 करोड़ (78.76%) का व्यय किया जाकर 25290 कुल स्वीकृत कार्यो में 16154 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है। शेष 9136 कार्य प्रगति पर है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में **जिलों में 1.4.2010 को शेष उपलब्ध राशि 134.85 करोड़ में से मई, 10 तक 24.34 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा 9997 स्वीकृत कार्य में से 966 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।**
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 288.52 करोड़ का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

6. निर्बन्ध राशि योजनाः

11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के लिए ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त विकास कार्यो के प्रस्तावों की क्रियान्विति को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2007–08 यह योजना प्रांरभ की गई।

प्रगतिः–

- पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक हस्तानान्तरित राशि 63. 71 करोड़ के विरूद्ध माह मार्च, 2010 तक रूपये 54.18 करोड़ (85.23 प्रतिशत) व्यय किये जा चुके है। योजना में अब तक 3046 स्वीकृत कार्यो के विरूद्ध 2521 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में **जिलों में 1.4.2010 को शेष उपलब्ध** राशि 920.41 लाख में से माह मई, 2010 तक 8.67 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। योजना अन्तर्गत शेष 518 कार्य में से 4 कार्य पूर्ण करवाया गया।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 1650.00 लाख का वित्तीय प्रावधान है।

7. आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं नियमितिकरण के पट्टे जारी

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 30 हजार के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 27772 ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क / रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन कर लाभान्वित किये गये है जिसमें 14336 बी.पी.एल परिवारो को निःशुल्क भू–खण्ड एवं 13436 ग्रामीण योग्य परिवारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये गये है।

इसके अलावा ग्रामीण परिवारों को कुल 38815 पुराने भवनों/विनियमितीकरण के पट्टे जारी किये गये है जिनमें 24153 पुराने भवनों के पट्टे एवं 14662 विनियमितीकरण के पट्टे जारी किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 30 हजार निशुल्क/रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 716 ग्रामीण परिवारों को आवंटन कर लाभान्वित किये गये है जिसमें 566 बी.पी.एल परिवारो को निःशुल्क भू–खण्ड एवं 150 ग्रामीण योग्य परिवारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये गये है।

इसके अलावा ग्रामीण परिवारों को 30 हजार के पुराने भवनों/विनियमितीकरण के पट्टे के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 423 पट्टे जारी किये गये है जिनमें 294 पुराने भवनों के पट्टे एवं 129 विनियमितीकरण के पट्टे जारी किये गये है।

सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को शेष बचे हुये आबादी पट्टा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के तहत सर्वे कार्यवाही एवं आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश जारी कर दिये गये है।

8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

यह योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। जिसमें भवन रहित नवीन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य एवं पंचायत भवनों के विस्तार/जिर्णोद्धार के कार्य हेतु 75 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में **प्रथम किश्त के रुप में** राशि रूपये 300.00 लाख रिलिज किये एवं राज्य मद के मैचिंग शेयर की राशि रूपये 100.00 लाख, इस प्रकार कुल राशि रूपये 400.00 लाख का आवंटन सम्बन्धित जिला परिषदो को 269 पंचायत भवनो के निर्माण/विस्तार/जिर्णोद्धार कार्यो हेतु आवंटित कर दिये गये जिसमें से रूपये 364.89 लाख व्यय कर 238 कार्य पूर्ण करवाये गये। शेष 31 कार्य प्रगति पर है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में **द्वितीय किश्त रूपये** 300.00 लाख भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2009 में रिलीज उपरान्त राज्य मद की मैचिंग शेयर राशि 100.00 लाख इस प्रकार कुल उपलब्ध 400.00 लाख राशि के विरूद्ध 246 पंचायत भवनो के निर्माण/विस्तार/जिर्णोद्वार कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी कर 62.00 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

9. जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत :

- जिला परिषदों/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/परिवर्तन/परिवर्धन/मरम्मत के लिये 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद से उपलब्ध करायी जाती है।
- वर्ष 2010–11 में 50 लाख का प्रावधान है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है।